

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

मु.नं. 91/2015/दावा

- 1.मालीराम उम्र 70 वर्ष पुत्र टीकू जाति कुमावत निवासी कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 2.गंगाराम उम्र 53 वर्ष पुत्र लादू जाति कुमावत निवासी कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 3.कालूराम उम्र 49 वर्ष पुत्र लादू जाति कुमावत निवासी कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 4.मोहनलाल उम्र 43 वर्ष पुत्र लादू जाति कुमावत निवासी कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 5.आनीदेवी पुत्री लादू जाति कुमावत निवासी ग्राम कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 6.सुनिता देवी पत्नि बाबूलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

—वादीगण

ब न म

- 1.मेवाराम पुत्र टीकू जाति कुमावत निवासी कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 2.शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 3.उप पंजीयक दांतारामगढ जिला सीकर ।
- 4.तहसीलदार दांतारामगढ ।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति—

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादी की ओर से
2. श्री प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही ।

निर्णय

दिनांक: 29.09.2016

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

5/10/16

अंतिम डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम दांतारामगढ

इजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

मालीराम व अन्य

बनाम

मेवाराम आदि

दावा बाबत बंटवारा तथा स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरुस्ती

मुकदमा नं0 91/दावा सन् 2015

निर्णय दिनांक 29.09.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु जगदीश प्रसाद गौड आर.ए.एस बहाजरी शिवपाल सिंह मिनजानिब मुददई व मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2016 की अनुपालना में तहसीलदार, दांतारामगढ के पत्रांक 3080 दिनांक 01.09.2016 के संलग्न बंटवारा स्कीम मय नक्शा प्राप्त होने तथा प्रतिवादीगणों के अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार, दांतारामगढ से प्राप्त बंटवारा स्कीम व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार अंतिम डिकरी निम्न प्रकार से जारी की जाती है :-
ग्राम का नाम कुली पटवार मण्डल कुली तहसील दांतारामगढ


| क. सं. | प्रस्तावित खातेदारान का विवरण | ख.नं. | रकबा (है0 में) | किस्म | लगान |
|--------|---|--------|----------------|----------|------|
| 1. | मालीराम पुत्र टीकूराम कुमावत सा. कुली खातेदार | 630 | 0.01 | बारानी-3 | 0.03 |
| | | 631/1 | 0.64 | | 1.92 |
| | | किता 2 | 0.65 है. | | 1.95 |
| 2. | मेवाराम पुत्र टीकूराम राहिन शे.ग्रा.बैंक शाखा खाचरियावास मूर्तहीन हि. 3/4 बिला रहन हिस्सा 1/4 जाति कुमावत सा. कुली खातेदार | 631/2 | 0.65 | बारानी-3 | 1.95 |
| | | किता 1 | 0.65 है0 | | 1.95 |
| 3. | सुनितादेवी ध.पत्नि बाबूलाल जाति कुमावत सा.कुली खातेदार | 631/4 | 0.65 | बारानी-3 | 1.95 |
| | | किता 1 | 0.65 | | 1.95 |
| 4. | गंगाराम, कालूराम, मोहनलाल पिता लादूराम हि.बकृहि. 15/16 आनीदेवी पुत्री लादूराम हिस्सा 1/16 जाति कुमावत सा.कुली खातेदार | 631/5 | 0.08 | बारानी-3 | 0.24 |
| | | 632 | 1.87 | बारानी-3 | 5.61 |
| | | किता-2 | 1.95 | | 5.85 |
| 5. | गंगाराम, कालूराम, मोहनलाल पिता लादूराम हि.ब.हि.15/32 आनीदेवी पुत्री लादूराम हि. 1/32 राहिन मेवाराम पुत्र टीकूराम शे.ग्रा.बैंक शाखा खाचरियावास मूर्तहीन हिस्सा 1/8 मालीराम पुत्र टीकूराम हिस्सा 1/6 मेवाराम पुत्र टीकूराम हि. 1/24 सुनितादेवी ध.पत्नि बाबूलाल हि. 1/6 जाति कुमावत सा. कुली खातेदार | 631/3 | 0.08 | बारानी-3 | 0.24 |
| | | किता-1 | 0.08 | | 0.24 |
| | | किता-2 | 0.06 | | 0.64 |

29/9/16
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अतः उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29, सितम्बर, 2016 को जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
दस्तखत
ओहदा

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---------------------------|-------|------|----------------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 4 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | — | — | मेहनताना वकील पर ... | | |
| मेहनताना वकील | — | — | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | — | — | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | — | — | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | — | — | मुतफरिंक | 0 | 00 |
| मुतफरिंक | — | — | | 0 | 00 |
| मीजान | 5 | 00 | मीजान | | |

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

जा
उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ